

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 531] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 1983/अग्रहायण 4, 1905
No. 531] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 1983/AGRAHAYANA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1983

आ. आ. 858(अ).—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 (1966 का 51वां) की धारा 5 के खण्ड (घ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एन.डब्ल्यू.आर. द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्री सी.आर. वैद्यनाथन की थी एग. एग. सिद्धि, जिन्होंने इसीफा दे दिया है, के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के एक सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय की 29 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या वी. 17020/130/81-एम.ई. (पी.जी.) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 3 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

“3. श्री सी. आर. वैद्यनाथन,	स्वास्थ्य और परिवार
सचिव,	कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	के प्रतिनिधि”

[सं. वी 17020/61/83-एम.ई. (पी.जी.)]

पी. पी. चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1983

S.O. 858(E).—In pursuance of clause (d) of section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri C. R. Vaidyanathan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, to be a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, vice Dr. S. S. Sidhu, resigned, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 17020/136/81-ME(PG), dated the 29th September, 1982, namely :—

In the said notification for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

“3. Shri C. R. Vaidyanathan,	} Representative of the Ministry of Health and Family Welfare.”
Secretary,	
Ministry of Health	
and Family Welfare	

[No. V. 17020/61/83-ME(PG)]

P. P. CHAUHAN, Jt. Secy.